प्रेषक,

अबुल कैश
अपर जनपद न्यायाधीश,
हाथरस।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
हाथरस।

विषयः— <u>अचल संपत्ति विक्रय करने की अनुमति के सम्बन्ध में</u>।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी गाटा संख्या 856 मि0, रकवा 362 वर्ग मीटर स्थित मौजा कसारी मसारी, तहसील सदर, जनपद प्रयागराज का स्वामी है। उक्त भूमि के अंशभाग 30x55 वर्ग फिट (153 वर्ग मीटर) को रू0 30,60,000/— में श्री ऋषि कुमार जायसवाल पुत्र अशोक कुमार जायसवाल 51बी चक हिंगूई करारी मंझनपुर, कौशाम्बी को विक्रय करना चाहता है। मैंने उक्त भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने हेतु श्रीमान जनपद न्यायाधीश, हाथरस के माध्यम से दिनांक 04.12.2019 को प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2020 को क्रेता से लिखित पंजीकृत इकरारनामा बय एक माह के अंदर कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में मेरे द्वारा दिनांक 17.03.2020 को क्रेता श्री ऋषि कुमार जायसवाल के पक्ष में पंजीकृत लिखित इकरारनामा बय निष्पादित किया गया है जो बही संख्या 1 जिल्द संख्या 6226 के पृष्ठ 1 से 30 तक क्रमांक 2177 पर दिनांक 17.03.2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया है। उक्त पंजीकृत इकरारनामा बय की स्वप्रमाणित प्रति अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि उपरोक्त अचल संपत्ति विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। मैं माननीय महोदय का सदैव आभारी रहूंगा।

सादर।

दिनांक— 21.03.2020

भवदीय

(अबुल कैश)
अपर जनपद न्यायाधीश,
हाथरस।